

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-1/पी०सी०आर०(विविध/प्र०प्र०)०९-१०/२०११- ३३

राज्य स्कीम

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

उपनिदेशक(मु०)
-सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग।

पटना, दिनांक-20.06.17

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना मद से अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, संशोधन अधिनियम-2015, नियम-1995 एवं (संशोधन) नियम-2016 तथा अनु० जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम-2007 के प्रावधानों के पुस्तक का प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, विभागीय योजनाओं की हस्त पुस्तिका, प्रचार-प्रसार, होर्डिंग लगाने, नुक्कड नाटकों, जागरूकता शिविर एवं कार्यशाला का आयोजन हेतु कुल ₹5,00,000/- (पांच लाख रु०) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-30 दिनांक-15.06.2017 के द्वारा स्वीकृत कुल ₹50,00,000/- (पचास लाख रु०) मात्र में से निदेशालय स्तर पर व्यय हेतु कुल ₹5,00,000/- (पांच लाख रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2- आवंटित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम मद में मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण- उप मुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन-उप शीर्ष-0101-निदेशन और प्रशासन-मांग सं०-44-विषय शीर्ष-0101.26.01-विज्ञापन और प्रकाशन" विपत्र कोड 44-2225010010101 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।


3- आवंटित राशि अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, संशोधन अधिनियम-2015, एवं (संशोधन) नियम-2016 तथा अनु० जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम-2007 के पुस्तक का प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, योजनाओं की हस्त पुस्तिका, प्रचार-प्रसार, होर्डिंग लगाने, नुक्कड नाटकों, कार्यशाला का आयोजन तथा पोस्टर/पम्पलेट इत्यादि पर व्यय किया जाएगा। इस आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उपनिदेशक (मु०) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होंगे। वे राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक 17-4-98 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

5- इस योजना के तहत वित्तीय नियमावली के अनुसार सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर राशि का व्यय किया जाएगा।

6- इस आवंटन के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक-31-03-2018 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे।

7- इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है।

विश्वासभाजन


(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक।



ज्ञापांक- 1/पी0सी0आर0(विविध/प्र0प्र0)09-10/2011- 33 दिनांक- 20.06.17
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, अनु0जाति एवं अनु0
जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी-3डी0, 4डी0, 5डी0 एवं 6डी0
/सांख्यिकी शाखा, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा(दोहरी प्रति
में) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 1/पी0सी0आर0(विविध/प्र0प्र0)09-10/2011- 33 दिनांक- 20.06.17
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 1/पी0सी0आर0(विविध/प्र0प्र0)09-10/2011- 33 दिनांक- 20.06.17
प्रतिलिपि- आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेब
साईट (Web site) पर जारी करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।